संतकबीरनगर पुलिस

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 28.03.2024***

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा *श्री श्याम मोहन* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 28.03.2024 को क्षेत्र भ्रमण व संदिग्ध व्यक्तियों / वाहनों की चेकिंग के दौरान हरापट्टी ईदगाह के पास से अभियुक्त जाबिर उर्फ जावेद पुत्र अख्तर रजा निवासी लेडुआ महुआ टोला रसूलाबाद थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जाबिर उर्फ जावेद पुत्र अख्तर रजा निवासी लेडुआ महुआ टोला रसूलाबाद थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

***पंजीकृत अभियोग:-** *मु0अ0सं0 81/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद सन्तकबीर नगर ।

बरामदगी:- 150 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री भानुप्रकाश यादव, हे0का0 अनिल यादव, हे0का0 रजनीश पाठक ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 77 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.03.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 77 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।